भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2246
बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम के अंतर्गत सब्सिडी बढाना</u>

2246. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अधिकांश किसान प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का लाभ उठाने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार केवल 60 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है और शेष 40 प्रतिशत का भुगतान किसानों को स्वयं करना होता है, जिसे किसान सौर ऊर्जा संचालित जल पंपों के बड़े लाभों के बावजूद इसका खर्च वहन करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सिंचाई के लिए जल पंपों के संचालन में जीवाश्म ईंधन की लागत को बचाने के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पीएम-कुसुम के लिए आवेदन करने की मौजूदा प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने तथा इसके लिए बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पीएम कुसुम योजना के घटक ख के तहत, बेंचमार्क लागत या निविदा दरें, जो भी कम हो, की 30% (या पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/द्वीपों के लिए 50%) केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य भी न्यूनतम 30% राज्य हिस्सा प्रदान कर रहे हैं और शेष 40% का वहन किसान द्वारा किया जाना है। तथापि, पीएम कुसुम योजना कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत शामिल है, जो 6% पर आसान वित्तपोषण प्रदान करता है। वर्तमान में डीजल की कीमत लगभग 87 रुपये प्रति लीटर है, और प्रतिदिन 4.6 लीटर (5 एचपी पंप के लिए) की खपत को देखते हुए, किसान एक वर्ष में ही लागत वसूल कर सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मंत्रालय ने प्रक्रिया को सरल बना दिया है और दिनांक 17.01.2024 को व्यापक संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस स्तर पर बजट में कोई और वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

*****